

(114)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1357-पीबीआर/2016 विरुद्ध आदेश दिनांक  
27-01-2016 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण  
क्रमांक 39/अपील/2014-15

कोमल पिता गोरेलाल

निवासी ग्राम दामखेड़ा तहसील बैरासिया

जिला भोपाल

..... आवेदक

विरुद्ध

1-हबीब मोहम्मद पिता रफीक मोहम्मद,

2-शरीफ मोहम्मद पिता रफीक मोहम्मद

निवासी गण ग्राम झिकरियाखुर्द तहसील बैरासिया,

जिला भोपाल म0प्र0

..... अनावेदकगण


.....  
श्री अलीम कुरैशी, अभिभाषक-आवेदक


श्री हनीफ खॉन, अभिभाषक-अनावेदकगण

.....  
**:: आदेश ::**



( आज दिनांक 21/6/2012 को पारित )

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे  
आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त  
भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-01-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत  
की गई है।





2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार बैरसिया जिला भोपाल के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम दामखेड़ा तहसील बैरसिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 262/1/2 रकबा 1.152 हेक्टेयर का पट्टा शासन द्वारा उसे प्रदान कर कब्जा सौंपा गया था, परन्तु उक्त भूमि पर अनावेदकगण द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये। तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 23-01-2013 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदक को सात दिवस में दिलाये जाने का आदेश दिया गया। तत्पश्चात् राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा मौके पर उपस्थित होकर दिनांक 07-02-2013 को प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदक को दिलाया जाकर पंचनामा तथा प्रतिवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसी दौरान अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 23-01-2013 के पुनर्विलोकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया और उक्त आवेदन पत्र पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 1117/बी-121/12-13 दर्ज कर अनुविभागीय अधिकारी से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 16-05-2013 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा वापिस आवेदक से अनावेदकगण को दिलाये जाने का आदेश दिया गया। तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22-10-2014 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 16-05-2013 निरस्त करते हुये अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक दिनांक 27-01-2016 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया। आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

- (1) तहसीलदार द्वारा आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना आदेश पारित करते समय नहीं दी गई है, जबकि वह प्रश्नाधीन भूमि का पट्टाधारी होकर हितबद्ध पक्षकार है। इस संबंध में संहिता की धारा 51 में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी आदेश तब तक फेरफरित अथवा उल्टा नहीं जायेगा, जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को सूचना नहीं दी गई हो। इस आधार पर कहा गया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश संहिता के प्रावधानों के विपरीत है। इस वैधानिक स्थिति पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है।
- (2) संहिता की धारा 51 में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी ऐसे आदेश का जिसकी अपील की गई हो या पुनरीक्षण का विषय हो उसका पुनर्विलोकन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कार्यवाही लंबित रहती हो, जबकि माननीय उच्च न्यायालय में कार्यवाही लंबित है। इस स्थिति पर भी अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है।
- (3) तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 23-01-2013 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जो दिनांक 25-04-2013 निरस्त हो गई है और उसके विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिये भी तहसीलदार द्वारा पुनर्विलोकन में पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।
- (4) संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत 60 दिवस में पुनर्विलोकन की कार्यवाही करना चाहिये, जबकि अनावेदकगण द्वारा 90 दिवस के पश्चात् पुनर्विलोकन की कार्यवाही की गई है जो कि अवधि बाह्य है।
- (5) प्रश्नाधीन भूमि के पट्टाधारी आवेदक द्वारा समय एवं पैसा लगाकर उसे उपजाऊ बनाया गया है, जबकि अनावेदकगण अत्यधिक बलशाली एवं धनाढ्य है, ऐसी स्थिति में आवेदक की भूमि का कब्जा अनावेदकगण को दिलाये जाने में विधि एवं न्याय की भूल की गई है।

*CSA*

*CSA*

तर्क के समर्थन में 2000 आरएन 76, 2012 आरएन 35 एवं 2015 आरएन 447 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

- (1) संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत 2 वर्ष के भीतर कब्जा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है, जबकि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक के आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 17-09-2001 को किया गया है और प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का अनेक वर्षों से कब्जा पाया गया है अतः आवेदक का आवेदन पत्र अवधि बाह्य होने से निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा कोई त्रुटि नहीं क्री गई है ।
- (2) तहसीलदार के प्रकरण में संलग्न पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 27-05-2013 में अनावेदकगण का कब्जा प्राचीन समय से चले आने का उल्लेख है ।
- (3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने संबंधी आदेश दिनांक 02-05-2013 को चुनौती नहीं दिये जाने के कारण वह अंतिम हो गया है ।
- (4) आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 02-05-2013 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत नहीं कर आयुक्त के आदेश दिनांक 27-01-2016 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है, इसलिये आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है ।
- (5) आयुक्त द्वारा अपने आदेश में सूक्ष्म व्याख्या करते हुये आदेश पारित किया गया है, जो न्याय प्रक्रिया एवं विधिक प्रावधान के अनुरूप होने से पक्षकारों पर बन्धनकारी है ।
- (6) आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है इसलिये उक्त आदेश में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है । आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में ऐसा कोई आधार नहीं बतलाया गया है, जिससे आयुक्त का आदेश त्रुटिपूर्ण हो ।

तर्क के समर्थन में 2004 आरएन 261 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

*(Handwritten signature)*

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। संहिता की धारा 51(1) परन्तुक (2) में प्रावधानित है कि किसी भी ऐसे आदेश का, जिसकी की अपील की गई है, या जो किन्हीं पुनरीक्षण कार्यवाहियों का विषय है, उस समय तक पुनर्विलोकन नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसी अपील या कार्यवाहियाँ लंबित रहती हैं। अभिलेख से स्पष्ट है कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 23-01-2013 के विरुद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जो कि दिनांक 25-04-2013 को नोटप्रेस किये जाने के कारण निरस्त हुई है और तहसीलदार द्वारा दिनांक 22-04-2013 को पुनर्विलोकन की कार्यवाही करते हुये पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किया गया, अर्थात् अपील लंबित रहते हुये पुनर्विलोकन की कार्यवाही की गई है, जो कि उपरोक्त आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत है। इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने में आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। इस संबंध में 2000 आरएन 76 शहीद अनवर विरुद्ध राजस्व मण्डल तथा एक अन्य में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-



“ धारा 51 परंतुक(एक) - पुनर्विलोकन के लिये मण्डल अथवा अन्य किसी राजस्व अधिकारी द्वारा मंजूरी - दूसरे पक्ष को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रदान नहीं की जा सकती। ”

इसी प्रकार 2015 आरएन 447 अनिता कुशवाह(श्रीमती) विरुद्ध मोहनचंद तथा एक अन्य में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि -

“धारा-51(1) परन्तुक(एक) - पुनर्विलोकन की मंजूरी - हितबद्ध व्यक्ति को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्रदान नहीं की जा सकती।”






अतः उपरोक्त विश्लेषण एवं माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा तथा इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांतों के प्रकाश में की गई पुनर्विलोकन की कार्यवाही एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दी गई पुनर्विलोकन की अनुमति विधि के प्रावधानों के पूर्णतः विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यहाँ यह भी मुख्यतः विचारणीय प्रश्न है कि पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त होने के उपरांत तहसीलदार द्वारा बिना आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये अपने पूर्व आदेश को उलट दिया गया है। इस सम्बन्ध में संहिता की धारा 51 के परंतुक (एक-क) में प्रावधानित है कि किसी भी आदेश को तब तक फेरफारित नहीं किया जाएगा या उलटा नहीं जायेगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने तथा ऐसे आदेश की पुष्टि में सुने जाने की सूचना न दे दी गई हो। स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अपने पूर्व आदेश दिनांक 23-01-2013 के पुनर्विलोकन की कार्यवाही विधि के प्रावधानों के पूर्णतः विपरीत की गई है, इसलिये पारित आदेश दिनांक 16-05-2013 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है। जहाँ तक प्रकरण के गुणदोष का प्रश्न है तहसीलदार द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 166-अ/1994 में पारित आदेश दिनांक 31-3-2006 एवं 167-अ/1997 में पारित आदेश दिनांक 30-11-2005 के अनुपालन में पूर्व आदेश दिनांक 23-01-2013 निरस्त किया गया है, जबकि व्यवहार न्यायालय के उपरोक्त आदेशों में उल्लिखित खसरा क्रमांकों एवं प्रश्नाधीन भूमि के खसरा क्रमांकों में भिन्नता है। व्यवहार वाद के आदेशों के खसरा क्रमांकों में त्रुटि सुधार हेतु अनावेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद एम.जे.सी. क्रमांक 13/2011 प्रस्तुत किया गया है जो कि दिनांक 07-08-2013 को निरस्त किया जा चुका है। इस प्रकार तहसीलदार गुणदोष पर भी अपने पूर्व आदेश दिनांक 23-01-2013 को निरस्त करने में अवैधानिकता एवं अनियमितता की गई है, इस कारण भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है। जहाँ तक आयुक्त के आदेश का प्रश्न है

आयुक्त द्वारा मुख्यतः इस आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया है कि एक बार पुनर्विलोकन की अनुमति दिये जाने के पश्चात् तथा उसके पालन में तहसीलदार द्वारा आदेश संशोधित कर दिये जाने के उपरांत अपील के प्रक्रम पर पुनर्विलोकन के प्रकरण की विवेचना नहीं की जा सकती है, जो कि वैधानिक एवं उचित आधार नहीं है, कारण यदि पुनर्विलोकन प्रकरण में विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है, तब ऐसे प्रकरण की वैधानिकता पर किसी भी स्तर पर विचार किया जा सकता है । अतः आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-01-2016 निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) बैरसिया जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-10-2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।



  
(मनोज गौयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,  
ग्वालियर